विहार विधान सभा वादवृत्त ।

सोमवार, तिथि १४ मई, १९५१ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १४ मई, १९५१ को संध्या ६-३० बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

मधुबनी कोर्ट में सत्याग्रह ।

८५ । श्री झूलन सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनका ध्यान स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के ३ अप्रैल १९५१ में प्रकाशित समाचार "सत्याग्रह इन मधुबनी कोर्ट कम्पाउन्ड" की ओर गया है ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर हां है तो इस सत्याग्रह का कारण क्या है, और इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) Ostensibly the Satyagrah is a demonstration for demanding more foodgrains for Madhubani Subdivision and provision for employment for people who are in distress.

Action taken by Government falls into two parts. The hon'ble member is no doubt aware of the very serious efforts which are being made by the State Government for obtaining a sufficient quantity of foodgrains from outside, which, ultimately, is the only way of meeting the situation which has arisen in Bihar. Government have been sending to Darbhanga, which is one of the worst affected districts, about one-sixth of the total quantity of foodgrains received in the State, and Madhubani Subdivision has received special attention. In course of three weeks in March, the number of Government foodgrain shops in the subdivision was increased from 70 to 227 ; in the week ending on the 31st March 1951, these shops sold 11,294 maunds of foodgrains to nearly four lakhs of people. While allotment for Darbhanga district was 7,000 tons in March, for April this has been increased to 9,000 tons. Minor irrigation works have been undertaken on a generous scale and in 1950-51 Rs. 7½ lakhs were allotted to Darbhanga under the Emergency Irrigation Scheme. Minor Irrigation Projects have been taken up almost in every chaukidari circle in Madhubani. In 1950-51 Government allotted

NOTE.—Short notice questions nos. 72 and 84 postponed.

(*b*) A petition was filed by Shri Rajendra Prasad Yadav on the 14th July, 1950 for repairs of the said Bandh, while the area had already been flooded.

(*c*) The Additional Collector got a map of the breach prepared. The scheme was put up in the last meeting of the Khasmahal Advisory Committee on the 6th January, 1951, and it was decided that a plan and an estimate of the said scheme be got prepared. The plan and the estimate are under preparation by the Subdivisional Officer, Waterways, Begusarai.

(*d*) The estimate has not yet been prepared by the Subdivisional Officer, Waterways, Begusarai.

(*e*) The estimate will require administrative approval of Government if the cost exceeds Rs. 5,000. It is therefore not likely that the scheme will be taken up before the rainy season.

सारन जिले में जमींदार द्वारा रास्ता और गैरमजरुआ जमीन की बन्दोबस्ती।

A*११४७। श्री महावीर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सारन जिले के मैरवा थाने में निम्नलिखित गांवों में वहां के जरपेशगीदार जमींदार श्री विक्रमादित्य सिंह ने नीचे की तफसील वाली पइनों, गड़हों, रास्तों और अन्य गैरमजरुआ जमीनों को भी बन्दोबस्त कर डाला है :—

महाल।	तौजी नं०।	गांव।	खाता नं०।	सर्वे नं०।	किस्म जमीन।
रामपुखाई पट्टी	२०२६	बरईपट्टी	१९३	११६	प्यन चवर
				२१२	" "
				२७२	ग्रह मस्थान
				२८७	पइन
				५३०	रास्ता
				५७०	पइन
				८१६	खलिहान
				८९०	"
		गधरपा		८९०	जंगल, जो, रहरी, गड़हा, गैरमजरुआ आम जो गांव के निवास पैसार पर है।
		मुरारपट्टी		९२८	रास्ता।

A—Postponed from the 26th April, 10th and 11th May 1951 (as a special case).

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन जमीनों को वापस दिलवाने का प्रबन्ध करना चाहती है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बन्दोबस्तियों में जाली तरीके से पीछे की तारीखें देकर पुरानी बन्दोबस्ती साबित करने की कोशिश की जा रही है ;

(घ) तो क्या सरकार इसकी जांच कराने और यह अनुचित काम बन्द करने के लिये कोई कार्रवाई करने जा रही है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) It is a fact that all the plots mentioned in the list except plot no. 119 has been given as Bandobast on *patta* to the villagers by Bikramaditya Singh of village Chainpur.

(*b*) There was a case under section 107, Cr.P.C., for those plots and the zerpeshgidar won the case. The Collector is being asked to take action under the Bihar Land Encroachment Act for removing the settlees of pynes, tanks, pathways and other lands in public use.

(*c*) No such complaint has been made before the Subdivisional Officer, Siwan.

(*d*) The question does not arise.

श्री बसावन राम—जो जमीन बन्दोबस्त की गई है उसे लौटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैं कलक्टर को आदेश दे रहा हूं कि इन जमीनों में यदि कोई टैंक, पइन या रास्ता हो तो ऐसी जमीन को लैंड इंक्रोचमेंट ऐक्ट के मुताबिक वापस लेने की कोशिश करें।

श्री जूलन सिंह—क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी उत्तर में दफा १०७, सी आर० पी० सी० चलाये जाने की जो बात कही गयी है वह उस जमींदार के किस अपराध के कारण ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैंने यह कहा कि मुकदमा जरपेशगीदार के हसबखाह फैसला हुआ है लेकिन अगर कोई लैंड इन्क्रोचमेंट हो गया है तो कलेक्टर ऐक्शन ले सकता है और हम कलेक्टर को लिख रहे हैं कि ऐक्शन लें।

सारन जिले में गैरमजरुआ आम और मालिक जमीन की बन्दोबस्ती।

A*११५४। श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या माननीय राजस्व मंत्री, यह बतानें की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सारन जिले के सिवान सबडिवीजन में चन्द जमींदार गैरमजरुआ आम और मालिक पोखरा का बन्दोबस्त कर आबाद करा रहे हैं, जिससे सिंचाई के काम में बाधा पड़ेगी ;

NOTE.—Starred question nos. 1148—1153 postponed.

A—Postponed from the 26th April, 9th, 10th and 11th May 1951 (as a special case).